



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35431

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18502 वर्ष 2025

आशीष कुमार जायसवाल

.....याची

बनाम

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: वीर कुमार, विजय विक्रम सिंह
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: ए.एस.जी.आई., महेन्द्र बहादुर सिंह, मनु वर्धना

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री विजय विक्रम सिंह, याची के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री एम.बी. सिंह, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि प्रस्तुत रिट याचिका ग्राह्य नहीं है, क्योंकि याची के पास एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, अर्थात् वह केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष जा सकता है, क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एल. चन्द्रकुमार बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1997 (एस.सी.) 1125 पर भरोसा किया गया है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता उक्त विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका का **निस्तारण** इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याची संबंधित विषय पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष उपयुक्त वाद प्रस्तुत कर सकता है।

दिनांक : 17 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)